



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012024-251570
CG-DL-E-23012024-251570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]
No. 52]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2024

फ़ा. सं. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में), पारेषण योजना के लिए निम्नलिखित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है, जैसा कि पारेषण योजना के नाम के आगे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	पारेषण योजना का नाम तथा अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा	पारेषण योजना का व्यापक दायरा *	बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)
1	भुज-II पीएस (जीआईएस) में परिवर्तन क्षमता का विस्तार अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा: 21 महीने	i) भुज-II पीएस (जीआईएस) में 2x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (5वीं और 6वीं) और 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी (तीसरी) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि ii) एबीआरईएल (आरजे) प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए भुज-II पीएस में 220 केवी जीआईएस लाइन बे का कार्यान्वयन	पीएफसीसीएल

2	पूर्वी क्षेत्र सृजन योजना-I (ईआरजीएस-I) अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा: 01-05-2027	i) अंगुल-सुंदरगढ़ (झारसुगुडा) 765 केवी 2xएस/सी लाइनों के दोनों सर्किटों का एनएलसी-तालबीरा उत्पादन स्विचयार्ड में लीलो	पीएफसीसीएल
---	--	---	------------

* पारेषण योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पारेषण समिति की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त और बाद के संशोधन, में निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2023/12/16NCTMoM.pdf

बोली-प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./706/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2024

F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority hereby appoints the following Bid-Process Coordinator (BPC) for the Transmission Schemes, as shown against the name of the Transmission schemes:

Sr. No.	Name of Scheme & Tentative Implementation timeframe	Broad Scope of the transmission scheme *	Bid Process Coordinator
1	Augmentation of transformation capacity at Bhuj-II PS (GIS) Tentative Implementation timeframe: 21 months	i) Augmentation of transformation capacity at Bhuj-II PS (GIS) by 2x500 MVA, 400/220 kV ICT (5 th & 6 th) and by 1x1500 MVA, 765/400 kV ICT (3 rd) ii) Implementation of 220 kV GIS line bay at Bhuj-II PS for ABREL (RJ) Projects Limited	PFCCCL
2	Eastern Region Generation Scheme-I (ERGS-I) Tentative Implementation timeframe: 01-05-2027	i) LILO of both circuits of Angul – Sundargarh (Jharsuguda) 765 kV 2xS/c lines at NLC-Talabira generation switchyard	PFCCCL

*Detailed scope may be seen in the minutes of the 16th meeting of the National Committee on Transmission and subsequent amendments, available at:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2023/12/16NCTMoM.pdf

The appointment of the Bid-Process Coordinators is subject to the conditions laid down in the Guidelines.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./706/2023-24]